सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बार

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 04/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री राघव उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता जाति गुप्ता, निवासी मेन बाजार, गुना रोड़ नाहरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां। मैसर्स राघव किराना स्टोर, मेन बाजार, गुना रोड़ नाहरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां।
2. श्री दिलीप हरचंदानी पुत्र श्री किरोड़ी हरचंदानी, मेसर्स आरतमल मोरन्दमल, हॉस्पिटल रोड़ बारां
3. श्री चेतन कुमार पुत्र श्री शांति कुमार, निवासी प्रताप चौक बारां, मेसर्स अभिषेक कुमार एण्ड कंपनी, प्रताप चौक, बारां
4. श्री जयहिन्द मिश्रा पुत्र श्री राम समुज मिश्रा (नोमिनी) M/S STERLING AGRO INDUSTRIES, 8/385,Vidhyadhar Nagar, JAIPUR-302023(Raj)
5. M/S STERLING AGRO INDUSTRIES, 8/385,Vidhyadhar Nagar, JAIPUR-302023(Raj)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (I) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट(अप्रार्थी कम 1,3व5 की ओर से)

निर्णय दिनांक 22.06.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.06.2015 को समय 11:40 ए.एम. पर मैसर्स राघव किराना स्टोर, मेन बाजार, गुना रोड़ नाहरगढ तह0 किशनगंज जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री राघव पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उससे पूछने पर उसके द्वारा स्वंय को दुकान का विक्रेता होना बताया, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिश्रित **घी (नोवा)** 500 मिली. के 10 पैक पेकिट में रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर उसमें से 500 मिली. के 4 पेकिट 02 लीटर वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 800/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **घी (नोवा)** 500 मिली. के 4 पेकिट को अलग अलग चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सूरजमल प्रजापति च. श्रे. कर्मचारी कार्यालय बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

अति॰ जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/ 2015/204 दिनांक 23.06.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एलएस/1518/एक्ट/2015/428 दिनांक 16.06.2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, **घी (नोवा)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थी एक दुकानदार व्यक्ति है जो कम्पनी के अधिकृत डीलर अभिषेक कुमार एण्ड कम्पनी प्रताप चौक बारां से सीलपेक **घी (नोवा)** कय कर सीलपेक ही बिना परिवर्तन एवं परिवर्धन ग्राहकों को विकय करता है। इसमें प्रार्थी किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। अप्रार्थी कम 2 ना तो **घी (नोवा)** का निर्माता है और ना ही अधिकृत डीलर है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि प्रस्तुत कार्यवाही एवं उसके संलग्न दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या कोई प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं बनता है। फर्द निरीक्षण मौका के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस सील से मौके पर नमूना सील करना बताया गया है उसका कोई इम्प्रेशन फर्द मौका पर नहीं है। जांच रिपोर्ट में जांच के तरीके का कोई वर्णन नहीं है। जांच करने वाली लेबोरेट्री भी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5 की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** का विकय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रस्तुत कार्यवाही एवं उसके संलग्न दस्तावेजात से प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण नहीं बनता है। जांच रिपोर्ट में जांच के तरीके का कोई वर्णन नहीं है। जांच करने वाली लेबोरेट्री भी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी कम 1 व 2 को 5000/– 5000/– अप्रार्थी कम 3 को 10,000/– एवं अप्रार्थी कम 4 व 5 को कुल 30000/– महायोग 50000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)